संख्या-83/2025/734/सैंतीस-2-2025/001-1(21)/12

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-05 मई, 2025

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-16/सा.-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2025-26, दिनांक-29.04.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में संलग्न विवरणानुसार रू0-926.338 लाख (रूपये नौ करोड़ छब्बीस लाख तैंतीस हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	563.923
03-मंहगाई भत्ता	309.498
55-मकान किराया भत्ता	52.917
योग-	**926.338**

(रूपये नौ करोड़ छब्बीस लाख तैंतीस हजार आठ सौ मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
4. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।
7. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
8. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2403001010600 (पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001010600 पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	01 वेतन	5,63,92,300 (रुपये पाँच करोड़ तिरेसठ लाख बानबे हजार तीन सौ मात्र)
2	015	2403001010600 पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	03 मंहगाई भत्ता	3,09,49,800 (रुपये तीन करोड़ नौ लाख उनचास हजार आठ सौ मात्र)
3	015	2403001010600 पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	55 मकान किराया भत्ता	52,91,700 (रुपये बावन लाख इक्यानबे हजार सात सौ मात्र)
	कुल			**9,26,33,800** **(रुपये नौ करोड़ छब्बीस लाख तैंतीस हजार आठ सौ मात्र)**

महायोग	9,26,33,800 (रुपये नौ करोड़ छब्बीस लाख तैंतीस हजार आठ सौ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-83/2025/734(1)/सैंतीस-2-2025/001-1(21)/12, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-83/2025/734/सैंतीस-2-2025/001-1(21)/12, दिनांक-05 मई, 2025 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2025-26)

(धनराशि लाख में)

क्र0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	2	3	4	5	6
1	बरेली	8.000	4.500	0.260	12.760
2	बलरामपुर	6.600	3.150	0.000	9.750
3	आजमगढ़	9.600	5.280	0.358	15.238
4	फतेहपुर	7.900	4.610	0.250	12.760
5	हमीरपुर	4.140	2.270	0.100	6.510
6	फर्रूखाबाद	20.000	11.000	0.600	31.600
7	गाजीपुर	6.000	4.000	0.160	10.160
8	औरैया	14.000	7.000	0.350	21.350
9	मऊ	5.600	3.000	0.220	8.820
10	अमेठी	0.783	0.458	0.210	1.451
11	प्रयागराज	4.390	2.450	0.126	6.966
12	रायबरेली	9.000	5.000	0.130	14.130
13	चित्रकूट	10.000	5.500	0.250	15.750
14	एटा	70.000	40.000	2.000	112.000
15	हाथरस	20.000	10.000	0.700	30.700
16	वाराणसी	8.830	5.000	0.300	14.130
17	बुलन्दशहर	17.250	11.000	0.500	28.750
18	महोबा	28.000	15.000	0.800	43.800
19	मैनपुरी	50.000	30.000	1.800	81.800
20	फिरोजाबाद	8.700	4.500	0.000	13.200
21	सोनभद्र	25.700	14.000	0.700	40.400
22	कासगंज	20.000	10.000	0.500	30.500

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

23	बस्ती	35.000	17.000	0.500	52.500
24	गौतमबुद्धनगर	5.400	3.000	0.000	8.400
25	गोरखपुर	15.900	8.000	0.680	24.580
26	संतकबीरनगर	7.960	4.600	0.250	12.810
27	सुल्तानपुर	10.250	5.700	0.400	16.350
28	उन्नाव	24.000	13.000	0.560	37.560
29	अलीगढ़	27.000	14.000	0.580	41.580
30	इटावा	4.000	2.250	0.125	6.375
31	हरदोई	4.500	2.400	0.126	7.026
32	मेरठ	10.500	6.300	0.600	17.400
33	लखनऊ	7.500	4.250	0.180	11.930
34	बिजनौर	3.600	2.000	0.126	5.726
35	कानपुर देहात	13.300	7.400	37.800	58.500
36	संतरविदासनगर	11.000	6.000	0.000	17.000
37	मिर्जापुर	5.150	2.800	0.000	7.950
38	मुजफ्फरनगर	4.500	2.250	0.250	7.000
39	लखीमपुर खीरी	3.780	2.080	0.126	5.986
40	रामपुर	5.240	2.250	0.130	7.620
41	कन्नौज	10.850	6.500	0.170	17.520
योग-		**563.923**	**309.498**	**52.917**	**926.338**

(रूपये नौ करोड़ छब्बीस लाख तैंतीस हजार आठ सौ मात्र)

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।